

कार्यालय— अंचल अधिकारी डिहरी, (रोहतास)।

पत्रांक 1554

दिनांक 31.8.23

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
डिहरी, रोहतास।

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी,
सासाराम, रोहतास।

विषय:— रोहतास जिलान्तर्गत बालूघाट/सोन ब्लॉक सं०-12 में संबंधित भूमि राजस्व विवरणी में मौजा का नाम संशोधित करने के संबंध में।

प्रसंग:— भवदीय पत्रांक-1829/एम०, सासाराम, दिनांक-10.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि विषयगत की जाँच पुनः हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन द्वारा कराई गई। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि पंचायत बेरकप में ब्लॉक (बालू खंड का नाम) में सुधार किया गया है जो इस प्रकार है:—

बालू खंड का नाम	बालू घाट का नाम	मौजा/थाना	खाता संख्या	खेसरा सं०	किस्म जमीन
ब्लॉक-11	बेरकप	भुसहुला/123	144	652	सोन नदी
	बेरकप	चैनपुर/124	95	744	सोन नदी
ब्लॉक-12	बेरकप	वेरकप/125	209	1710	सोन नदी
				1715	सोन नदी

उक्त सभी भूमि सोन नदी की सरकारी भूमि है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि पर नियमानुसार बालू घाट के संचालन के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक— यथोक्त।

विश्वासभाजन

AC
30-8-23

अंचल अधिकारी
डिहरी, रोहतास।

अंश में

अंश विकास
डिस्ट

विषय:- राजस्थान पिलान्तर्गत बाणूवाट / सान ब्लॉक 11-12 में संबंधित व्यक्ति राजस्थान विरह्य में मौजा का नाम अंशोधन करने के संबंध में जाते अधिकार

प्रसंग:- अनिल विकास पदवीकापी राजस्थान के पत्रांक क्र 1829/एम. साजाराज. दिनांक:- 10/08/23 एवं भारतीय के रिजिस्ट्रार - 653 दिनांक:- 14/08/23

महोदय

अनुपूरित विषय के संबंध में कहना है कि बाणूवाट का व्यक्ति का राजस्थान विरह्य के रूप पंजीयत में ब्लॉक (बाणूवाट का नाम) में सुधार किया जाना है जो इस प्रकार है

पंजीयन क्रमांक	बाणूवाट का नाम	मौजा/भाग	खतास	खेसपत्र	किसान नाम
ब्लॉक-11	वेरुप	गुसईया/123	144	652	सान गद
	वेरुप	गुसईया/124	95	744	सान गद
ब्लॉक-12	वेरुप	वेरुप/125	201	1210	सान गद
				1215	सान गद

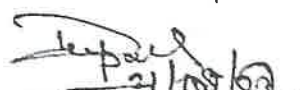
अतः अधिकृत अधिकार का आदेश दे दिया जाता है



21.8.23

अंश विकास

विभागाध्यक्ष



राजस्थान विरह्य

मौजा/वेरुप